राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt-½

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsfsrg@gmail.com

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2022–23–   दिनांक–31.01.2023

fufonk@[kyh ckyh lpuk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) में रबी 2022–23 के दौरान बोये गये सरसों/तोरिया की फसल का 2764.50 एकड की **dVkbZ@xgkbZ** हेतु सीलबन्द निविदा दिनांक 14.02.2023 को सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन सांय 3.30 बजे फार्म की समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदाये निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) के नाम, प्रति लॉट धरोहर राशि रूपये 20000/–(बीस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन जो कि ''**u'kuy lhM~l dkjiksj'ku fyfeVsM] ljnkjx<**''के नाम से सूरतगढ में देय हो के साथ देनी होगी। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु 236/– including 18% GST (नॉन रिफन्डेबल) का ड्राफ्ट देना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर लौटायी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। उपरोक्त कार्य की दरें भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 236/– (नॉन रिफन्डेबल) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम/शर्तों की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है व इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेवसाइड www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदादाता को निविदा भरते समय अपने पेन कार्ड/ GST की फोटोप्रति/आधार कार्ड व वर्तमान आवासीय पते हेतु फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी।

ukV% & V.Mj fnol dk vijkgu 2-00 cts d ckn dkbZ V.Mj Qke tkjh ugh fd;k tk;xk o 3-00 cts d ckn dkbZ Hkh V.Mj Qke Lohdkj ugh fd;k tk;xkA

lgk;d egkçca/kd ¼mRiknu½
Ñr% funs'kd

dsUnzh; jkT; QkeZ] ljnkjx< ¼jktLFkku½

क्रमांकः— सर/कृषि/20/2022—23—   दिनांकः —

ljlksa@rksfj;k dh dVkbZ@xgkbZ ds fu;e o 'krsZ

1. ठेकेदार को धरोहर राशि रूपये 20000/— (प्रति लॉट) का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन माध्यम द्धारा ''**u'kuy lhM dkjiksjs'ku fyfeVsM] ljnkjx<**'' के नाम से सूरतगढ में देय हो जमा करवाना होगा, जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद वापिस की जायेगी, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. सरसों व तोरिया की कटाई व इकठ्ठा करने के लिए ठेकेदार स्वयं ही मजदूरों व दराती आदि की व्यवस्था करेगा।
3. फसल की कटाई के बाद पहले छोटी—छोटी ढेरियां लगानी होंगी तथा सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक इन्चार्ज के बताये अनुसार 3 या 4 बड़े ढेर लगाने होंगे।
4. सरसों/तोरिया की गहाई (थ्रेसिंग) ठेकेदार को टेण्डर फार्म में दी गयी दरों के अनुसार करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा। थ्रेसिंग का कार्य फसल की ढेरियाँ इकठ्ठा होने के बाद 08—10 दिनों में ही पूरा करना होगा।
5. अनाज को फार्म के वाहन में लादना होगा एवं खलिहान साफ करने व अन्य कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी व इसके लिए श्रमिक ठेकेदार के होंगे, फार्म किसी भी कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं करवायेगा।
6. कार्य चक इंचार्ज व अन्य अधिकारियों के आदेशानुसार ठेकेदार को करना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान किया जाता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
7. ठेकेदार या उसके आदमियों से फार्म का किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, तो फार्म कमेटी द्वारा तय किया गया हर्जाना ठेकेदार को देना होगा।
8. व्यक्ति/ठेकेदार फार्म में काम लेगा, उसे ही कार्य पूरा करना होगा एवं यदि वह बीच में ही किसी कार्य को छोड़ता है, तब उसकी धरोहर राशि को जब्त करके फार्म के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक/मानव क्षति होने की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा व फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
10. इस ठेके में यदि कोई टैक्स (राज्य/केन्द्रीय)लगता है, तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से PAN No. आवश्यक रुप से देना होगा।
11. निविदा कार्य स्वीकृति के पश्चात कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त नियम व शर्तों को सम्मिलित करते हुए ठेकेदार को रु. 100/— के नॉन—ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फार्म के साथ अनुबंध करना होगा जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
12. ठेकेदार ठेका स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित समय में कार्य शुरु नही करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फार्म कार्य अन्य ठेकेदार से कराने के लिए स्वतन्त्र होगा। साथ ही ठेकेदार को फार्मों की काली सूची में डाल दिया जायेगा।
13. चकवाइज कटाई की तिथि चक/खण्ड प्रभारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। तिथि सूचित करने के 24 घन्टे के अन्दर कार्य आरम्भ करना होगा। समय से कार्य प्रारम्भ नही करने की स्थिति में कार्य अन्य ठेकेदार से कराया जायेगा तथा यदि दरों में कोई अन्तर आता है तो उसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार की धरोहर राशि या बकाया बिल भुगतान से की जायेगी।
14. इस संबंध में राष्टीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के वाद—विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा विवाद नहीं सुलझनें की स्थिति में मामले का समाधान/निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचन (Arbitration) की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/अध्यक्ष—सह—प्रबंधक निदेशक, राष्टीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा इसी अधीनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी। विवाचन का फैसला अतिंम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये। विवाधन का स्थान सूरतगढ़ होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल सूरतगढ स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार की पक्षकारों पर लागू होंगा।

lgk;d egkçca/kd ¼mRiknu½
Ñrs funs'kd

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान)

fufonk&i=

fnukd%&dekd&-------------------

jch 2022&23 d nkjku ck;h x;h lj lk@ rkfj;k dh dVkbZ@xgkbZ vkfn dk;Z gr

		खेतो में खडी फसल को हाथ से काटना, एकत्रित करना, स्वयं की कम्बाईन/थ्रेसर में झोकना, दाने को फार्म की ट्राली/ ट्रक में भरना, खलियान साफ करना व इसके वदले में तुडी/स्ट्रा ले जाना।		रुपये दर प्रति एकड़ जो फार्म में जमा कराऊँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ से फार्म से लूँगा।
[k.M u0-	pd u0	ykV	{k= ,dM eA		
		lj lk			
[k.M&4	39 ih-ch-,u-	01	171.00		
	39 ih-ch-,u-	02	95.00		
	39 ih-ch-,u-	03	109.00		
	42 ih-ch-,u-	01	148.00		
	42 ih-ch-,u-	02	152.00		
	42 ih-ch-,u-	03	60.00		
	43 ih-ch-,u-	01	85.00		
	44 ih-ch-,u-	01	164.00		
	44 ih-ch-,u-	02	136.00		
	45 ih-ch-,u	01	127.00		
	46 ih-ch-,u	01	90.50		
	dy		**1337.50**		
		lj lk			
[k.M&5	48 ih-ch-,u-	01	140.00		
	48 ih-ch-,u-	02	125.00		
	48 ih-ch-,u-	03	101.00		
	50 ih-ch-,u-	01	102.00		
	50 ih-ch-,u-	02	118.00		
	47 ih-ch-,u-	01	125.50		
	47 ih-ch-,u-	02	217.50		
	49 ih-ch-,u	01	105.00		
	49 ih-ch-,u	02	128.00		
	51 ih-ch-,u	01	75.00		
	dy		**1237.00**		
		Rkkfj;k			
[k.M 5	47 ih-ch-,u-	01	57.50		
	52 ih-ch-,u	01	132.50		
	dy		**190.00**		
	dy ;kx		**2764.50**		

दिनांकः – ....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम :– ....

पिता का नाम :– ....

गांव व पोस्ट :– ....

जिला :– ....

फोन नं. :– ....

iu u-@ GST u0 %& -------------------------------------